न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– एल

प्रथम अपील संख्या 23/2023

मुकेश कुमार, मकान नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) मह

राणी सती रोड, झुंझुनूं, मो0न0 9928536030

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 0

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना प का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.01.2023 को इस न्यायालय में पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 23/2023 पर दिनांक 23.01.2023 को दर्ज अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर अ में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय पाठक/2022/595–96 दिनांक 23.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गय
4. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक कोष/स्था/20 दिनांक 01.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री मुकेश कुम नं0 3 बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविघालय, रोड, झुंझुनूं का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 0 को इस कार्यालय मे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र मे इस कायालय सूचना पत्र कमांक कोष/झुं/सूचना/2022/ दिनांक 21.12.2022 को रूप से स्वयं श्री मुकेश कुमार को दी गई है उनके द्वारा सूचना प्राप्त हस्ताक्षर भी कार्यालय प्रति पर किये गये है। बिन्दु/सूचना विधिक राय मे होने के कारण इस कार्यालय से संबंधित नहीं है अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमायी जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested

5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं पत्रांक कोष/स्था/2023/20 01.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री मुकेश कुमार, मक बी, कमला शिक्षक विहार, सेठ मोतीलाल (पी0जी0) महाविघालय, राणी झुंझुनूं का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत दिनांक 07.12 उनके कार्यालय मे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त पत्र मे उनके कायालय

सूचना पत्र क्रमांक कोष/झु/स्था/2022/1755 दिनांक 21.12.2022 को
रूप से स्वयं श्री मुकेश कुमार को दी गई है। उनके द्वारा सूचना प्राप्त
हस्ताक्षर भी कार्यालय प्रति पर किये गये है। अन्य बिन्दू/सूचना विधिक राय
मे होने के कारण उनके कार्यालय से संबंधित नही है। चूंकि प्रार्थी को नियमों/
की प्रतियां सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपलब्ध कराई जा स
अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जा
सूचना अधिकारी (कोषाधिकारी) झुंझुनूं को आदेश दिये जाते है कि
नियमों/विभागीय प्रावधानों की प्रतियां 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना
करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील
राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को खुले न्यायालय में सुन

(एल0एस0कु
जिला कलक्टर,

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:21 IST
Reason: SelfAttested